(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2933–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–7–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मनासा जिला नीमच प्रकरण कमांक जनसुनवाई कमांक 1071/2012.

सत्यनारायण पिता रामचन्द्र दास बैरागी
निवासी मनासा तहसील मनासा जिला
नीमच म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

कैलाश पिता बंशीलाल सोडानी
निवासी मनासा तहसील मनासा जिला
नीमच म0प्र0

———अनावेदक

– – – – – –

श्री सुनील सिंह जौदान, अभिभाषक, आवेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 8 सितम्बर 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी मनासा जिला नीमच के आदेश दिनांक 29–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक द्वारा की गई जनशिकायती आवेदन कलेक्टर के समक्ष इस आशय का दिया कि सर्वे नम्बर 492 एवं 493 कुल रकबा 0.041 हे0 भूमि जो कि मंदिर श्री गोपालकृष्ण भगवान के नाम से अंकित है पर निगरानीकर्ता द्वारा सालों से अतिकमण किये हुये हैं। कलेक्टर द्वारा उचित कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मनासा को भेजी। उक्त शिकायत अनुविभागीय अधिकारी ने शिकायत कमांक

1071/2012 पर दर्ज की तथा अग्रिम कार्यवाही की। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही को रोकने के लिए सिविल न्यायालय से आदेश दिनांक 14–10–2014 को स्थगन जारी किया गया जिसकी प्रति अनुविभागीय अधिकारी को उलब्ध कराई परन्तु उनके द्वारा कार्यवाही स्थगत नहीं की। इसके अतिरिक्त कलेक्टर नीमच द्वारा दिनांक 28–2–2015 को उक्त कार्यवाही को स्थगित रखे जाने बावत आदेश दिये जिसको नजरअंदाज करते हुये शिकायतकर्ता के अवैध प्रभाव में आते हुये शिकायत पर कार्यवाही करने में वैधानिक त्रुटि की है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध सत्यापित प्रतियों का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि उपरोक्त कार्यवाही अनावेदक द्वारा की गई जनशिकायत के आधार पर की जा रही है। कलेक्टर के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की किस धारा के अन्तर्गत की जा रही है, आवेदक अभिभाषक यह बताने में असमर्थ रहे हैं। उक्त कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को है आवेदक अभिभाषक यह भी नहीं बता सके। अतः निगरानी ग्राह्य करने का अधार नहीं होने से निरस्त की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर